



कार्यालय आदेश सं- 466/2022

पूर्व रेल

इस कार्यालय के कार्यालय आदेश सं-288/2022 समसंगतक पत्र दिनांक-31.03.2022 के द्वारा श्री अनुराग शानु प्रसिधु जेई(एन) की जेई(एन) के पद पर वसोई/पथ/थानाबिहपुर के असीन नियमित नियुक्ति हेतु आवेदना जारी किया गया था, परन्तु कर्मचारी द्वारा आवेदन प्राप्त नहीं करने एवं इसके अनुरोध पर पुनर्विचार करते हुए वसोई(सामन्वय)/सोनपुर गठोपम द्वारा जेई(एन), लेवल-06 के पद पर इसके पूर्व के नियमित पदस्थापना स्थल में संश्लेषित करते हुए उनके नाम के सामने अंतिम स्थान पर पदस्थापित किया जाता है। कर्मचारी दिनांक 30.03.2022 से 31.03.2022 तक की अवधि को प्रतिश्रम अवधि एवं दिनांक 01.04.2022 से 25.05.2022 तक अनुत्थित रहे है। वेच अन्य सभी शर्त पूर्व में जारी आवेदानुसार गणना रहेगी। कर्मचारी के उचित पदस्थान हेतु फोटो, दस्तावेज का नमूना एवं बायीं हाथ के अंगुठे का निशान सहायक अधिकारी द्वारा अंगिकृत है।

Sl No	Name of Candidate / Comm	DOB/ Medical Category	Post/Place of Posting	Qualification	Pay fixation JE/P.Way, L-6 के पद पर कार्यभार ग्रहण तिथि/नियमित पदस्थापना तिथि से देय )	Photo	Left hand impress/Signature
01	Anurag Shanu (SC)	23.02.1992 Fit in A-3 & B-1 & C-1 with DV glass	JE(P.Way) Under 55E/P.Way/GRL	B.Tech	35400, L-6 (27.11.2020 से ) 36500, L-6 (01.07.21 देय नहीं) 36500, L-6 ( कार्यभार ग्रहण तिथि से देय ) 37600, L-6 (01.07.22 )		


उपरोक्त अग्रणी सूच-सी के कर्मचारियों पर लागू नियमों से शासित होंगे एवं आवश्यकतानुसार प्राथमिक सेवा में सात (07) वर्षों तक या प्रशासन द्वारा निर्धारित किसी भी अवधि तक सेवा करनी होगी। अगर किसी कारणवश रेल सेवा में 05 वर्षों तक करने में असमर्थ होते है या रेल सेवा से हटाना चाहते है तो प्रशासन द्वारा प्रशिक्षण पर किये गये खर्च एवं दिये गये वृत्तिका (With Interest) रेलवे को लौटाना होगा। भविष्य में रेल सेवा में बने रहना उनके द्वारा दिये गये अगिलेखों के सत्यापन एवं पुलिस द्वारा चारित्रिक जाँच में अनुकूल रहने के शर्त पर निर्भर करेगा। यदि जाँच सफ़्ट प्रतिकूल पाया गया तो इनकी सेवा बिना किसी सूचना दिये समाप्त कर दी जायेगी।


उपरोक्त अग्रणी रेल परिषद के पत्र सं-एन/ई/111/2003/पी.एफ/01/24 दिनांक-31.12.2003 के अनुसार दिनांक 01.04.2004 से लागू गये पेंशन पद्धति से शासित होंगे।  
संलग्नक-कार्यालय आदेश सं-288/2022 दिनांक-31.03.2022

सं-ECR-SEOPERS(ESTT)/51/2022 Computer No-164915

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनाार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01. महाप्रबन्धक(कार्मिक)/हाजीपुर। 02. वसोई(सामन्वय), वसोई/सोनपुर। 03.सामोई/दक्षिण/गुजफकरपुर, थानाबिहपुर।
04. वसोई/पथ/गोरील, वसोई/पथ/थानाबिहपुर। 05.युक्तार्थधी/बिल/भर्ती/सोनपुर।
06. कार्यालय आदेश प्रति, संबंधित कर्मचारी एवं उनके अगिलेख प्रति।
07. भंडल भंडी-ईसीआरकेयू, अजा-अजजा एशो एवं ओबीसी एशो सोनपुर।

  
(आतीक कुमार झा)  
वसोई(सामन्वय)/सोनपुर  
दिनांक-26.05.2022

  
(बिजय इंजीनियर)  
साकाधि-111  
सुतो भंडेप्र(कार्मिक)/सोनपुर

Scanned with CamScanner